न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 37/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र फूसाराम 2. जोगीराम पुत्र फूसाराम 3. भागूराम पुत्र फूसाराम जातियान जाट निवासीगण खोजानगर हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा		1. शंकरलाल पुत्र लखाराम 2. जीवणराम पुत्र लखाराम 3. चन्दू देवी पत्नी लखाराम 4. बक्साराम पुत्र मुकनाराम 5. नेमादेवी पुत्री मुकनाराम 6. चेनादेवी पुत्री मुकनाराम 7. परमादेवी पुत्री मुकनाराम 8. माधूराम पुत्र शिम्भूराम 9. रामचन्द्र पुत्र जालूराम 10 मोहनराम पुत्र चौथाराम 11 नारायणराम पुत्र चौथाराम 12. सिपूड़ी पत्नी मोहनराम 13. मनीष पुत्र रतनाराम 14. गजेन्द्र पुत्र रतनाराम 15. सन्तोष पत्नी रतनाराम जातियान जाट, निवासीगण खोजानगर हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा 16. भूमि विकास बैंक बिलाड़ा तहसील बिलाडा 17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :–वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से श्री एस.आर.खोजा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 10 से 15, 16 अनुपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 17 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक 18.12.2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2090 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का सयुक्त रूप का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का सयुक्त रूप का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है। काश्त की सुविधा के लिए भूमि खसरा नम्बर 2090 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा के तीन भाग किये

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हुए है, जिसके अनुसार वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का दक्षिणी भाग पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का उत्तरी व दक्षिणी भाग के बीच वाला भाग पर तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का उत्तरी भाग पर हिस्से अनुसार काश्त करते है। पक्षकारों के हिस्से अनुसार कब्जे का नजरी नक्शा साथ में पेश है। ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2090 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा की उपरोक्त भूमि पूर्व में फूसाराम का 1/3 हिस्सा, शिम्भूराम का 1/3 हिस्सा, चौथाराम का 1/3 हिस्सा की खातेदारी भूमि थी। खातेदार फूसाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके लड़के मांगीलाल, जोगीराम, भागुराम, रतनाराम के नाम से 1/3 हिस्से की खातेदारी में दर्ज की गयी। जिसमें से रतनाराम फौत हो चुका है, रतनाराम के स्थान पर उसके लड़के मनीष, गजेन्द्र तथा पत्नी सन्तोष के नाम से खातेदारी दर्ज की गयी। इस प्रकार फूसाराम के 1/3 हिस्से के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 13 से 15 हुये। इसी प्रकार खातेदार शिम्भूराम पुत्र रूघाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसकी पत्नी बिदामी व पुत्र बक्साराम के नाम से 1/3 उसके लड़के लखाराम, मुकनाराम, माधूराम के नाम से 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज की गयी, जिसमें से लखाराम व मुकनाराम फौत हो चुके है, लखाराम के स्थान पर उसके हिस्से की खातेदारी दर्ज की गयी। जिसमें से बिदामी फौत हो चुकी है, बिदामी के विधिक उत्तराधिकारी उसका लड़का बक्साराम व लड़कियॉ नेमादेवी, चेनादेवी, परमादेवी है। उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में शिम्भूराम पुत्र मुकनाराम का नाम लिपिकीय त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया, शिम्भूराम के पिता का नाम रूघाराम है, शिम्भूराम फौत हो चुका है, शिम्भूराम के विधिक उत्तराधिकारी उसके तीन पुत्र लखाराम, प्रतिवादी संख्या 8 माधूराम, मुकनाराम थे, जिसमें से लखाराम व मुकनाराम फौत हो चुके है। लखाराम कें विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा मुकनाराम के विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 4 से 7 है। इस प्रकार शिम्भूराम पुत्र रूघाराम के विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हुये। इसी प्रकार खातेदार चौथाराम के देहान्त के बाद उसके लड़के घीसाराम, मोहनराम, नारायणराम के नाम से 1/3 हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गयी जिसमें से घीसाराम ने अपने हिस्से की भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 9 रामचन्द्र को कर दिया, इस प्रकार खातेदार चौथाराम की 1/3 हिस्से की भूमि पर अन्तिम रूप से प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का सयुक्त रूप से हक निहित है। अतः विवादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है।

यह कि इसी प्रकार ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2089 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 12 का सयुक्त रूप का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का सयुक्त रूप का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है। काश्त की सुविधा के लिए भूमि खसरा नम्बर 2089 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा के तीन भाग किये हुए है, जिसके अनुसार वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का दक्षिणी भाग पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 12 का उत्तरी व दक्षिणी भाग के बीच वाला भाग पर तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का उत्तरी भाग पर हिस्से अनुसार काश्त करते है। पक्षकारों के हिस्से अनुसार कब्जे का नजरी नक्शा साथ में पेश है। ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2089 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा की उपरोक्त भूमि पूर्व में फूसाराम का 1/3 हिस्सा, शिम्भूराम का 1/3 हिस्सा, चौथाराम का 1/3 हिस्सा की खातेदारी भूमि थी। खातेदार फूसाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके लड़के मांगीलाल, जोगीराम, भागुराम, रतनाराम के नाम से 1/3 हिस्से की खातेदारी में दर्ज की गयी। जिसमें से रतनाराम फौत हो चुका है, रतनाराम के स्थान पर उसके लड़के मनीष, गजेन्द्र तथा पत्नी सन्तोष के नाम से खातेदारी दर्ज की गयी। इस प्रकार फूसाराम के 1/3 हिस्से के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 13 से 15 हुये। इसी प्रकार खातेदार शिम्भूराम पुत्र रूघाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसकी पत्नी बिदामी व पुत्र बक्साराम के नाम से 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि दर्ज की गयी जिसमें से बिदामी फौत हो चुकी है, बिदामी के विधिक उत्तराधिकारी उसका लड़का बक्साराम व लड़कियॉ नेमादेवी, चेनादेवी, परमादेवी है। इस प्रकार माधूराम, मुकनाराम पुत्र शिम्भूराम के 1/3 हिस्से की सयुक्त भूमि पर अन्तिम रूप से जरिये बैचान रजिस्ट्री से प्रतिवादी संख्या 12 को बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार खातेदार चौथाराम के देहान्त के बाद उसके लड़के घीसाराम, मोहनराम, नारायणराम के नाम से 1/3 हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गयी जिसमें

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

से घीसाराम ने अपने हिस्से की भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 9 रामचन्द्र को कर दिया, इस प्रकार खातेदार चौथाराम की 1/3 हिस्से की भूमि पर अन्तिम रूप से प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का सयुक्त रूप से हक निहित है। अतः विवादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 12 का सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 12 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादीगण अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 06.03.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2090 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2089 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 15 बिस्वा का कब्जे अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 15 के 1/3 हिस्से की सयुक्त भूमि का बंटवाड़ा की डिक्री प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 2090 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2089 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा में से 3 बीघा 15 बिस्वा की प्राथमिक डिक्री की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2090 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा 06 बिस्वांशी तथा खसरा नम्बर 2089 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 15 के सयुक्त बंट में रखी गयी तथा इसी अनुसार खसरा नम्बर 2090 रकबा 19 बीघा 16

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

बिस्वा 14 बिशवांसी शंकरलाल, जीवणराम पि. रखाराम, चन्दुदेवी पत्नी लखाराम, बिदामी पत्नी मुकनाराम, माधुराम पि. शिम्भूराम, बक्साराम पि. मुकनाराम, रामचन्द्र पि. जालुराम, मोहनराम, नारायणराम पि. चौथाराम के सयुक्त बंट में इसी प्रकार खसरा नम्बर 2089 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा शंकरलाल, जीवणराम पि. लखाराम, चन्दुदेवी पत्नी लखाराम, सीपुड़ी पत्नी मोहनराम, रामचन्द्र पि. जालुराम, मोहनराम, नारायणराम पि. चौथाराम के सयुक्त बंट में भूमि रखी गयी तथा खसरा नम्बर 2090 रकबा 17 बिस्वा शंकरलाल, जीवणराम पि. लखाराम, चन्दुड़ी पत्नी लखाराम, माधुराम पि. शिम्भूराम, बक्साराम पिसरान मुकनाराम, रामचन्द्र पिसरान जालुराम, मोहनराम, नारायणराम पिसरान चौथाराम, मांगीलाल, जोगीराम, भागुराम पिसरान फुसाराम, मनीष, गजेन्द्र पिसरान रतनाराम, सन्तोष पत्नी रतनाराम के सयुक्त बंट में शामलाती रास्ता की भूमि रखी गयी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 15 की भूमि अलग से सयुक्त खातेदारी की घोषित की जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार इसी आशय की भूमि का राजस्व रेकर्ड तथा नजरी नक्शा में इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 15 की घोषित सयुक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner